Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

रीवा जिले में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

डॉ राजीव कुशवाहा
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य) शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई-कुकदुर
विकासखण्ड - पंडरिया, जिला कबीरधाम (N-x)

सारांश:-

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकिंग क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सुदृढ़ और स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। गैर निष्पादित संपत्तियाँ (NPAs) बैंकिंग उद्योग के स्वास्थ्य का सबसे सटीक संकेतक हैं; अर्थात, ये बैंकों के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के NPAs भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। गैर निष्पादित संपत्तियों का बैंकों की तरलता (liquidity), शोधन क्षमता (solvency) और लाभप्रदता (profitability) पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, जिसमें विशेष रूप से उनके NPAs पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिसका आधार कुल सकल अग्रिमों (gross advances) के प्रतिशत के रूप में NPAs का अनुपात और क्षेत्र-वार औसत NPAs का प्रतिशत है। विश्लेषण के उद्देश्य से, NPAs को प्राथमिकता (priority) और गैर-प्राथमिकता (non-priority) वाले क्षेत्रों में भी वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPAs का स्तर निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक है। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के बैंकों में "बैंक ऑफ इंडिया" के औसत गैर निष्पादित संपत्तियाँ सर्वाधिक हैं, जबकि 'HDFC बैंक" के औसत NPAs सबसे कम हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में "बैंक ऑफ इंडिया" के NPAs सर्वाधिक हैं, जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 'YES cSad' के औसत NPAs सबसे कम हैं।

कीवर्ड्स: गैर निष्पादित संपत्तियाँ (NPAs), सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्राथमिकता क्षेत्र, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4
ISSN No: 3049-4176

प्रस्तावना:-

बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड होती है, पिछले कुछ वर्षों में सुदृढ़ीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ है तथा घरेलू एवं विदेशी बाजारों का दायरा प्रति-दिन बढता जा रहा है। ऐसे मे बैंकिंग जोखिम भी बढ़ा है परन्तु निष्पादित संपत्तियों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो जाता है, कि बैंकिंग उद्योग में निष्पादनीय संपत्तियों का महत्व है, बैंकिंग उद्योग में निष्पादनीय संपत्तियाँ पर्याप्त मात्रा मे होने से बैंकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा आय मे भी वृद्धि होती है। बैंक, निष्पादनीय संपत्तियों कें द्वारा अपने ग्राहकों की आर्थिक सहायता करके तथा उनके पक्ष मे विवरण देकर ना केवल उनकी साख बढाता है, वरन् सरकारी प्रबंध मे भी सहयोग करता है क्योंकि सरकारी ऋणांे का निर्गमन बैंकों के माध्यम से किया जाता है। निष्पादनीय संपत्तियों के द्वारा बैंक अपने ग्राहकों को ऐजेन्सी संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं तथा अपने ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय के क्रय-विक्र्रय कार्य भी करते हैं, जिससे वे विदेशी व्यापार के लिए सहायक होते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) उन ऋणों को संदर्भित करता है जिन पर डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। किसी परिसंपत्ति को निष्पादित परिसंपत्ति की श्रेणी में तब रखा जाता है जब उधारकर्ता 90 दिनों के भीतर मूलधन या ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है। ब्याज भुगतान पर निर्भरता के कारण वित्तीय संस्थानों के लिए अपनी निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अर्थव्यवस्था के दबाव के कारण वित्तीय संस्थानों के एनपीए में वृद्धि होती है क्योंकि उन्हें आक्रामक रूप से ऋण देना पड़ता है, जिससे उनकी सभी परिसंपत्तियों को पूरी तरह से प्रबंधित करने की क्षमता कम हो जाती है। एनपीए को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

आज सम्पूर्ण भारतीय बैंकिंग उद्योग की जटिलतम समस्या हैं -गैर निष्पादनीय संपत्तियाँ। आज बैंकों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का कठिनतम कार्य है - गैर निष्पादनीय संपत्तियों की वसूली। बैंकिंग उद्योग में ऋण एवं अग्रिमों के अनर्जक होने से बैंकों को वित्तीय कठिनाई को झेलना पड़ता है। बैंक, जनता से जमाएं प्राप्त कर आवश्यकतानुसार लोगों एवं व्यवसायों को ऋण प्रदान करता है। जनता से ऋण एवं ब्याज की राशि प्राप्त कर पुनः जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराता है। गैर-निष्पादक आस्तियों के

बढ़ने से बैंकिंग उद्योग का व्यवसाय चक्र रूक जाता है और बैंकों की लाभ-प्रदायिकता प्रभावित होती है। बैंकिंग उद्योग पर गैर-निष्पादक आस्तियों का दूसरा प्रभाव यह होता है कि बैंक अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज कम होने लगता है और जनता से प्राप्त धन पर ब्याज निरन्तर अदा करना होता है। अतः ब्याज विस्तार में कमी हो जाती है। गैर-निष्पादित आस्तियों के बढ़ने से आर्थिक चिट्ठे में कम लाभ दिखाई देता है और बैंकों की व्यवसाय क्षमता प्रभावित होती है तथा व्यावसायिक असंतुलन दिखाई देने लगता है। गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि को सीमित कर देने के लिए वसूली प्रबंधन हाल के वर्षों में बैंकिंग उद्योग के लिए एक नई अवधारणा के रूप में उभरा है। अन्य बैंकों के साथ मिलकर रिजर्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं ताकि बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों को नियंत्रित रखा जा सके।

निष्पादनीय संपत्तियों की अवधारणा

बैंको द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण निष्पादनीय सम्पत्तियाँ या मानक संपत्तियाँ कहे जाते है, जिनका मूलधन एवं उस पर देय ब्याज समय से बैंकों को प्राप्त होता रहता है। इसलिए इन्हे मानक या निष्पादनीय संपत्तियों की संज्ञा दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार ''निष्पादनीय संपत्तियाँ/मानक आस्ति उसे कहते है, जिसके संबंध मे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती तथा उसके संबंधित कारोबार में सामान्य से अधिक जोखिम नहीं रहता है। इस प्रकार सामान्य रूप से सभी मौजूदा ऋण अल्पकालिक कृषिगत और गैर-कृषिगत ऋण जो अनपयोज्य आस्ति न हो उन्हे निष्पादनीय या मानक संपत्ति समझा जाता है। निष्पादनीय संपत्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियों को शामिल किया जाता है।

1- Cash & Balances with RBI
2- Investments
3- Fixedassets
4- Advances
5- Bills Receivable
6- Debtors

गैर-निष्पादनीय संपत्तियों की अवधारणा

देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकसित करने हेतु भारत सरकार द्वारा सन् 1969 में एक महत्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत देश के 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने का फैसला

लिया गया, ताकि देश के कोने-कोने तक बैंकिंग का विस्तार हो सके। विभिन्न सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक-असमानता जैसी समस्याआंे को दूर करने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं की शुरूआत की गई, जिसका माध्यम बैंक बने। सरकारी ऋणकर्ताओं हेतु बैंकों द्वारा सरकार के दवाब एवं लक्ष्य की पूिर्त के लिए जनता को समय पर धन उपलब्ध करवाया गया किन्तु प्रदŸा ऋणांे की वसूली मे सरकार का पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण बैंकों का धन डूब गया। यह स्थिति सन् 1960 से 1969 तक अनवरत् रूप से रही, परिणाम यह हुआ कि सन् 1991 में सरकार को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक सुधार कि प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों के भुगतान पत्रों मे पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधार लागू किए गये, जिससे गैर- निष्पादनीय संपत्तियों की अवधारणा का जन्म हुआ।

गैर-निष्पादनीय संपत्तियाॅ

कोई भी आस्ति तब अनर्जक बन जाती है, जब वह बैंकों के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। किसी आस्ति को गतदेय के आधार पर अनर्जक माना जाता था। गैर-निष्पादनीय आस्तियो की परिभाषा के अनुसार- "वह ऋण जिसके ब्याज और या मूलधन की किश्त किसी विशिष्ट अवधि के लिए गतदेय हो गयी हो। किसी राशि को गतदेय तब माना जाएगा जब वह नियत तारीख से 30 दिनों के लिये बकाया हो गयी हो तथा 31 मार्च 2001 से गतदेय की अवधारणा को समाप्त कर दिया है तदनुसार, उस तारीख से अर्नजक आस्ति वह अग्रिम हैं, जहाँः-

1. किसी मियादी ऋण के संबंध में ब्याज और मूलधन की किश्त 180 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय हो गयी हो।

2. अधिविकर्ष ऋण के संबंध में खाता 180 से अधिक दिनों के लिए रहा है।

3. खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 180 से अधिक दिनों के लिए गतदेय रहा हो।

4. कृषि प्रयोजनों के मामले में ब्याज और/मूलधन की किश्त दो फसली मौसम के लिए लेकिन दो अर्द्धवार्षिकी में अधिक अवधि के लिये अतिदेय रही हो।

बैंक द्वारा दिया गया कर्ज़ एक एसेट (संपत्ति) माना जा सकता है। जब यह एसेट इनकम देना बंद कर देता है, तो यह नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट (NPA) बन जाता है। अब यह कर्ज़

दो तरह का होता है: प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और नॉन-प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अलग-अलग रिसर्च पेपर और अखबारों में इस बात पर काफ़ी चर्चा होती है कि नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट्स के कुल हिस्से में प्रायोरिटी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के मौजूदा फ़्रेमवर्क की शुरुआत काफ़ी पहले, 1967 में हुई थी। भारत सरकार के उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, मोरारजी देसाई ने 14 दिसंबर, 1967 को लोकसभा में एक बयान दिया था कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग और निर्यात जैसे कई प्रायोरिटी सेक्टर को बैंक क्रेडिट में उनका सही हिस्सा नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि यह पहला मौका था जब 'प्रायोरिटी सेक्टर' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अवधारणा पेश की गई। बैंकों पर 'सोशल कंट्रोल' (सामाजिक नियंत्रण) बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 1967 के ज़रिए लागू किया गया था, जिसे 23 दिसंबर, 1967 को लोकसभा में पेश किया गया था। सोशल कंट्रोल के ज़रिए, बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने कामकाज को राष्ट्रीय लक्ष्यों के हिसाब से ढालें। जुलाई 1968 में हुई नेशनल क्रेडिट काउंसिल की एक बैठक में, इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि कमर्शियल बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर - यानी कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों - को फ़ाइनेंस करने में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। फ़रवरी 1968 में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले, अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टरों में बैंक क्रेडिट की प्राथमिकताओं पर नज़र रखने के लिए नेशनल क्रेडिट काउंसिल (NCC) का गठन किया गया था। एक स्टडी ग्रुप (गाडगिल समिति, 1969) का गठन किया गया, जिसने क्षेत्रीय और ढांचागत क्रेडिट कमियों को दूर करने के लिए 'एरिया अप्रोच' अपनाने की सिफ़ारिश की। इन सिफ़ारिशों के आधार पर 'लीड बैंक योजना' अपनाई गई। जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया था, वे थे-

- लघु उद्योग
- औद्योगिक एस्टेट
- सड़क और जल परिवहन संचालक
- पेशेवर और स्वरोज़गार वाले व्यक्ति-
- खुदरा व्यापारी
- शिक्षा

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

1991 में वित्तीय क्षेत्र सुधार पर पहली नरसिम्हम समिति ने, अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों तक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच बढ़ाने में 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण' (Priority Sector Lending) कार्यक्रमों की भूमिका को स्वीकार किया। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि प्राथमिकता क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि इसमें सीमांत किसान, सूक्ष्म क्षेत्र, छोटे व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र, ग्राम और कुटीर उद्योग आदि शामिल हो सकें। समिति ने कम और घटते मुनाफे की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि 'निर्देशित ऋण कार्यक्रम' (Directed Credit Programme) को धीरे-धीरे समाप्त करने की आवश्यकता है। समिति ने 40% के निर्देशित ऋण लक्ष्य को घटाकर 10% करने की सिफारिश की, और साथ ही प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा को भी संकुचित करने का सुझाव दिया, ताकि छोटे किसानों और अन्य कम आय वाले लक्षित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, और निर्देशित ऋण की आवश्यकताएँ अभी भी पहले की तरह ही बनी हुई हैं। राजगोपाल समिति (1994) ने सुझाव दिया कि रियायती ऋण (Concessional Credit) या कम ब्याज दर की सुविधा केवल 'सबसे गरीब लोगों' और समाज के वंचित वर्गों तक ही सीमित होनी चाहिए; साथ ही, समिति ने सिफारिश की कि जो लोग वाणिज्यिक दरों पर ब्याज चुकाने में सक्षम हैं, उनसे वाणिज्यिक दरों पर ही ब्याज लिया जाना चाहिए।

दूसरी नरसिम्हम समिति (1998) ने पाया कि निर्देशित ऋण के कारण 'गैर-निष्पादित ऋण' (Non-Performing Loans) में वृद्धि हुई है, और इसने बैंकों की कार्यक्षमता तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह देखा गया कि सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में से 47% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र से ही आया था। इसके साथ ही, समिति ने यह भी स्वीकार किया कि प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में अचानक की गई कटौती से इन क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने का खतरा हो सकता है। समिति ने इस बात को स्वीकार किया कि छोटे और सीमांत किसानों, साथ ही उद्योग के सूक्ष्म क्षेत्र और छोटे व्यवसायों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; इसलिए, इस क्षेत्र के लिए ऋण की कुछ मात्रा को विशेष रूप से आरक्षित (Earmark) करना आवश्यक हो सकता है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर, कुल 'शुद्ध बैंक ऋण' (Net Bank Credit) का 10% हिस्सा समाज

के कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया गया है। समिति ने सिफारिश की कि इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए, वर्तमान में प्रचलित इस व्यवस्था को जारी रखा जा सकता है। समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया कि रोज़गार-उन्मुख क्षेत्रों (जैसे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और डेयरी से जुड़ी सेवा गतिविधियाँ) के महत्व और ज़रूरतों को देखते हुए, इन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। इसने 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर रियायती ब्याज दरों को हटाने और समग्र प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों तथा उप-क्षेत्र लक्ष्यों से चरणबद्ध तरीके से दूर हटने की सिफारिश की। प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर ऋण प्रतिभूतिकरण (Debt securitisation) की अवधारणा का सुझाव दिया गया। इससे उन बैंकों को मदद मिलेगी, जो प्राथमिकता क्षेत्र का लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वे अन्य संस्थानों से ऋण खरीद सकें। वर्मा समिति (2000), व्यास समिति (2001), व्यास समिति (2004), सी.एस. मूर्ति समिति (2005), रघुराम राजन समिति (2009), मालेगाम समिति (2011), नचिकेत मोर समिति (2014) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से संबंधित कई मामलों की ओर ध्यान दिलाया।

पूर्व में किये गये कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा

डॉ. हरप्रीत कौर और नीरज कुमार सैडली (2011) ने अपने पेपर, जिसका शीर्षक है "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों का एक तुलनात्मक अध्ययन," में समझाया है कि NPA क्या हैं, NPA बढ़ने के कारण क्या हैं, गैर-निष्पादित संपत्तियों का पैमाना क्या है, और भारतीय बैंकिंग कार्यों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन और NPA की समस्या को नियंत्रित करने के उपायों पर भी चर्चा की, साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के 'पूंजी-से-जोखिम-भारित-संपत्ति अनुपात' (Capital to Risk Weighted Asset Ratio) पर भी बात की। इस पेपर के संदर्भ में, उन्होंने सुझाव दिया कि NPA का प्रतिशत शून्य होना तो लगभग असंभव है, लेकिन सरकार ने NPA को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और मानकों को बनाए रखने के लिए विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर सकती है।

मिश्रा (2016) ने जानकारी के द्वितीयक स्रोतों के आधार पर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के NPA के बीच एक संक्षिप्त

तुलना करने का प्रयास किया। गुप्ता और केसरी (2016) ने पाया कि वैश्विक आर्थिक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव ही NPA बढ़ने का मुख्य कारण था।

खोसला और कुमार (2017) ने पाया कि भारतीय बैंक 90,000 करोड़ रुपये से अधिक के NPA की समस्या का सामना कर रहे थे, और उन्हें लाभ के बजाय नुकसान हो रहा था। देश के सामान्य कानून इतने अधिक जटिल और बोझिल थे कि खराब ऋणों (bad credits) की वसूली करना लगभग असंभव हो गया था।

सेनगुप्ता और बर्धन (2017) ने तर्क दिया कि विनियामक रियायतें (regulatory forbearance) समस्याओं के समाधान में सहायक नहीं होतीं; बल्कि वे बैंकों को NPA की पहचान टालने और कार्रवाई में देरी करने के लिए प्रोत्साहित करके बैंकिंग संकट को और भी बदतर बना सकती हैं। किसी ऋण का पुनर्गठन (restructuring) बैंक का एक व्यावसायिक निर्णय होना चाहिए, और उसे NPA की पहचान टालने जैसी विनियामक रियायतों के लिए अपने-आप ही पात्र नहीं मान लिया जाना चाहिए।

शोध प्रविधि:-

प्रस्तावित अध्ययन प्रविधि का आशय उन सुव्यवस्थित तरीकों, विधियों से है जिनके द्वारा शोधार्थी अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय एवं यथार्थ तथ्यों का संकलन करता है तथा उन्हें व्यवस्थित करता है। शोध कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध समस्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशनों, पत्र-पत्रिकाए, जर्नल्स, एवं दैनिक समाचार पत्रों का अध्ययन कर जुटाए जाएंगे समंको का वर्गीकरण सारणीयन एवं विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया जाएगा तथा प्राप्त परिणाम को वास्तविकता से मिलान किया जाकर विसंगति का पता लगाया जाएगा एवं उन्हें करने के शोध कार्य को दोहराया गया है। शोध कार्य हेतु क्षेत्र अध्ययन एवं सविचार निदर्शन विधियों का समुचित प्रयोग किया जाएगा, जो शोध कार्य को मौलिकता प्रदान करेगा एवं प्रत्याशित निष्कर्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

इस शोध कार्य के व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्धति से प्राप्त सूचनाओं तथ्यो, जानकारियां समंको के द्वारा विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष प्राप्त किए जाएगंे। तत्पश्चात् तथ्य समंकलन

मास्टर चार्ट निर्माण, बिन्दुरेखीय प्रदर्शन, सारणीयन, चित्रों के द्वारा तथ्यों का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए अनुसंधान की दोनों ही प्रविधियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग भी किया गया है। साथ ही प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोत एवं व्यक्तिगत सर्वेक्षण प्रश्नावली और अनुसूचियों का भी उपयोग किया गया है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में 5 विकासखण्डों के 60-60 उत्तरदाताओं का सर्वे किया जाना है, जिनकी कुल संख्या 300 उत्तरदाता है।

प्राथमिक समंक के अन्तर्गत	-	प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसन्धान
	-	प्रत्यक्ष मौखिक अनुसन्धान
	-	संवाददाताओं से सूचनाओं का एकत्रीकरण
द्वितीय समंक के अन्तर्गत	-	प्रकाशित स्रोत
	-	शासकीय प्रकाशन
	-	अर्धशासकीय प्रकाशन
	-	वित्त आयोग का प्रकाशन
	-	अनुसन्धान संस्थाओं के प्रकाशन
	-	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन

शोध कार्य में मुख्यतः दोनों प्रकार के समंकों का प्रयोग आवश्यक है। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों समंकों को निदर्शन विधि द्वारा एकत्रित कर सारणीबद्ध वर्गीकृत पद्धति द्वारा विश्लेषित किया जाता है, ताकि प्राप्त निष्कर्ष स्पष्ट एवं सहीं हो।

शोध का औचित्य: - किसी शोध कार्य की शुरुआत किसी उद्देश्य को लेकर होती है। यह उद्देश्य अपना एक विशेष महत्व रखता है। किसी भी शोध प्रबंध कार्य को आरम्भ करने से पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान शोध क्यों किया जा रहा है ? शोध की समस्यॉयें क्या हैं ? इन समस्याओं का अध्ययन कर सही सुझाव एवं परामर्श देकर, संभावित परिणाम एवं निष्कर्ष तक पहुंचना ही शोध का औचित्य है। किसी भी शोध कार्य को तभी सफल माना

जाता है, जब उसका वास्तविक निष्कर्ष निकले एवं सही परिणाम सामने आये तथा परिणाम सार्थक हों।

न्यादर्श का चयन:- प्रस्तुत अध्ययन तथ्य विश्लेषण गणनात्मक अध्ययन, विधि अवलोकन तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के चुने हुए 300 उत्तरदाताओं का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जायेगा साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन के माध्यम से तथ्य संग्रह किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र -

किसी भी शोध अध्ययन के व्यवस्थित अध्ययन के लिये उसके क्षेत्र का निवर्हन भी करना चाहिए। क्षेत्र का निर्धारण आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। यदि शोध का क्षेत्र छोटा होगा तो हो सकता है कि वह शोध अध्ययन के निष्कर्षो से काफी दूर हो जाय। अर्थात निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं रह जाते और यदि शोध क्षेत्र व्यापक हो तो इसे समय औंर श्रम की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तथा आर्थिक साधन भी बहुत अधिक खर्च करने पड़ते है। शोधार्थी का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला है, जो प्रशासकीय दृष्टि से 07 तहसीलों एवं 08 विकासखण्डों में बंटा है जिले में 495 ग्राम पंचयाते हैं शोध प्रबंध में चुने गये गावों तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न पक्षकारों से प्रश्नावली के माध्यम से समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है एवं गैर-निष्पादित संपत्तियों के विश्लेषण के लिये शोध प्रबंध में वर्ष 2020 से 2024 तक के आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है। उपर्युक्त पॉच वर्षों का समय अध्ययन निष्कर्षो के लिए पर्याप्त है।

चूँकि शोधार्थी का अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले को लिया गया है।रीवा जिले में उत्खनन के कारण घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2,228,935 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 1,157,49 तथा महिलाओं की संख्या 1,071,440 है। रीवा जिले में जनसंख्या का घनत्व 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की साक्षरता प्रतिशत 72.26 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है जिसमें पुरूष का साक्षरता प्रतिशत 81.37 एवं महिलाओ का साक्षरता प्रतिशत 62.45 है। रीवा जिले की 50 महिला उद्यमियों का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है। ।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

शोध का उद्देश्य -

किसी भी सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के अध्ययन के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना अत्यंत आवश्यक है इन्ही उद्देश्यों के आधार पर शोधार्थी को अपना शोध कार्य करना प्रारंभ करता है। प्रस्तुत शोध प्रबंध के उद्देश्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है-

1. बैंकों में गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर का पता लगाना।
2. गैर निष्पादित आस्तियों के प्रबंधन में रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित मानकों का विश्लेषण करना।
3. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों मे गैर निष्पादित आस्तियों के प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. ऐसे उपायों का पता लगाना जिससे गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर को कम किया जा सके।
5. बैंकों में ऐसे कारकों का पता लगाना जो गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर को बढा़ रहे हैं।
6. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित आस्तियों की स्थिति का विश्लेषण करना।
7. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित आस्तियों को उत्पन्न करने वाले कारणों तथा उनके प्रबंधन का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना:-

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के गैरके औसत (एनपीए) निष्पादित संपत्तियों-स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर का अनुपात निजी क्षेत्र (एनपीए) निष्पादित संपत्तियों-के बैंकों की तुलना में काफी अधिक है।
- एनपीए का बैंकों की लाभप्रदता)Profitabilityपर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।
- एनपीए में वृद्धि का बैंकों की लाभप्रदता, परिचालन मार्जिन और शेयरधारकों के प्रतिफल Return on Equityपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। (

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)Priority Sectorमें एनपीए का (प्रतिशत निजी बैंकों की तुलना में अधिक है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्तर और विश्वसनीयता के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या :-

तालिका 1: वर्ष 2020 से 2024 की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का NPA (%)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				निजी क्षेत्र के बैंक			
	PNB	BOB	BOI	SBI	YES	AXIS	KOTAK	HDFC
2020	6.55	4.64	6.81	3.99	0.42	1.36	1.85	0.89
2021	12.90	11.93	12.66	6.50	0.77	1.71	2.36	1.10
2022	12.53	11.73	19.32	6.90	1.56	5.21	2.59	1.04
2023	18.38	12.26	23.46	10.91	1.33	6.79	2.22	1.28
2024	15.50	9.61	21.25	7.53	3.37	5.31	2.14	1.35
माध्य	13.17	10.04	16.70	7.17	1.49	4.08	2.23	1.13
मानक विचलन	4.38	3.19	6.85	2.49	1.14	2.41	0.27	0.18
संयुक्त माध्य	11.77				2.23			

स्रोत: बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

प्रयुक्त संकेत: PNB: पंजाब नेशनल बैंक; BOB: बैंक ऑफ़ बड़ौदा; BOI: बैंक ऑफ़ इंडिया; SBI: स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया।

तालिका-1 बैंकों द्वारा दिए गए कुल सकल अग्रिमों (Gross Advances) के प्रतिशत के रूप में NPAs को दर्शाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPAs निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक हैं। 2020 से 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत NPAs 6 प्रतिशत से अधिक रहे हैं, जबकि सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के औसत NPAs 7 प्रतिशत से कम रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त औसत NPAs 2.23 प्रतिशत हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त औसत NPAs 11.77 प्रतिशत हैं, जो यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (assets quality) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बेहतर है। सार्वजनिक क्षेत्र के

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

बैंकों में, SBI बैंक के औसत NPAs सबसे कम (7.17 प्रतिशत) हैं और BOI बैंक के औसत NPAs सबसे अधिक (16.70 प्रतिशत) हैं। वहीं, निजी क्षेत्र के बैंकों में HDFC बैंक के औसत NPAs सबसे कम (1.13 प्रतिशत) हैं और AXIS बैंक के औसत NPAs सबसे अधिक (4.08 प्रतिशत) हैं।

तालिका 2: 2020 से 2024 की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्र-वार औसत NPA (%)

विवरण	PNB	BOB	BOI	SBI
प्राथमिकता क्षेत्र				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	9.73	9.79	11.37	9.06
उद्योग	16.15	11.9	19.54	13.47
सेवाएँ	7.81	10.2	12.64	7.19
व्यक्तिगत ऋण	5.61	3.80	5.01	1.71
प्राथमिकता क्षेत्र का कुल औसत	9.82	8.92	12.14	7.85
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2.14	9.75	13.10	4.99
उद्योग	27.75	17.82	24.00	10.6
सेवाएँ	9.27	6.26	11.17	3.19
व्यक्तिगत ऋण	3.29	3.30	7.37	0.62
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र का कुल औसत	10.61	9.28	13.91	4.85
संयुक्त औसत (प्राथमिकता क्षेत्र + गैर-प्राथमिकता क्षेत्र / 2)	10.21	9.1	13.02	6.35

स्रोत: बैंक की वार्षिक रिपोर्टें

तालिका-2 में वर्ष 2020 से 2024 तक की पाँच वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत NPA का क्षेत्र-वार (प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता) विवरण दिया गया है। औसतन, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों में गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में औसत NPA कम हैं। सभी बैंकों में, गैर-प्राथमिकता और प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों की

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

'व्यक्तिगत ऋण' श्रेणी के NPA, अन्य सभी श्रेणियों की तुलना में कम हैं; जबकि दोनों क्षेत्रों की 'उद्योग' श्रेणी के NPA सबसे कम हैं। SBI बैंक के प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में कुल औसत NPA सबसे कम हैं, जो क्रमशः 7.85 प्रतिशत और 4.85 प्रतिशत हैं। BOI बैंक के प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में कुल औसत NPA सबसे अधिक हैं, जो क्रमशः 12.14 प्रतिशत और 13.91 प्रतिशत हैं। प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों में कुल औसत NPA 7 प्रतिशत से अधिक हैं।

तालिका 3: वर्ष 2020 से 2024 की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्र-वार औसत NPA (प्रतिशत)

Items	YES	AXIS	KOTAK	HDFC
प्राथमिकता क्षेत्र				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1.69	3.48	2.50	2.50
उद्योग	0.68	2.69	1.68	1.84
सेवाएँ	0.47	2.36	1.37	1.58
व्यक्तिगत ऋण	1.69	0.88	1.76	0.85
प्राथमिकता क्षेत्र का कुल औसत	1.13	2.35	1.83	1.69
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1.21	0.00	1.78	1.57
उद्योग	2.07	8.93	3.43	1.01
सेवाएँ	0.94	3.57	1.67	0.89
व्यक्तिगत ऋण	0.35	0.82	1.39	0.63
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र का कुल औसत	1.14	3.33	2.06	1.02
संयुक्त औसत (प्राथमिकता क्षेत्र + गैर-प्राथमिकता क्षेत्र)	1.13	2.84	1.94	1.35

स्रोत: बैंक की वार्षिक रिपोर्टें

तालिका-3 में 2020 से 2024 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के औसत NPA को क्षेत्र-वार आधार पर (प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता) दिखाया गया है। प्राथमिकता

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

क्षेत्र में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की श्रेणी में अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक NPA दर्ज किए गए, और व्यक्तिगत ऋणों में अन्य गतिविधियों की तुलना में कम NPA दर्ज किए गए; जबकि गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में, उद्योग श्रेणी में अधिक NPA देखे गए और व्यक्तिगत ऋणों में कम NPA देखे गए। YES बैंक के प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में कुल औसत NPA सबसे कम हैं, जो क्रमशः 1.13 प्रतिशत और 1.14 प्रतिशत हैं। AXIS बैंक के प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में कुल औसत NPA सबसे अधिक हैं, जो क्रमशः 2.35 प्रतिशत और 3.33 प्रतिशत हैं। प्राथमिकता क्षेत्र में कुल औसत NPA 3 प्रतिशत से कम है, जबकि गैर-प्राथमिकता क्षेत्र का कुल औसत NPA 5 प्रतिशत से कम है; साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों में प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों के संयुक्त NPA 4 प्रतिशत से कम हैं।

तालिका 4: 2020 से 2024 की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्र-वार औसत NPA (%).

	बैंक का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	PNB	9.82	10.61
	BOB	8.92	9.28
	BOI	12.14	13.91
	SBI	7.85	4.85
निजी क्षेत्र के बैंक	YES	1.13	1.14
	AXIS	2.35	3.33
	KOTAK	1.83	2.06
	HDFC	1.69	1.02

स्रोत: बैंक की वार्षिक रिपोर्टें

तालिका-4 में वर्ष 2020 से 2024 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्र-वार (प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता) औसत NPA का विवरण दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, BOI बैंक के औसत NPA प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक हैं, जबकि SBI बैंक के औसत NPA दोनों क्षेत्रों में सबसे कम हैं। वहीं, निजी क्षेत्र में AXIS बैंक के औसत NPA प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक हैं; जबकि YES बैंक के औसत NPA प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे कम हैं और HDFC बैंक के औसत NPA गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे कम हैं। कुल मिलाकर, सार्वजनिक

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

और निजी दोनों क्षेत्रों में, प्राथमिकता क्षेत्र में BOI बैंक के औसत NPA सबसे अधिक और YES बैंक के औसत NPA सबसे कम हैं; जबकि गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में BOI बैंक के NPA सबसे अधिक और HDFC बैंक के NPA सबसे कम हैं।

निष्कर्ष

- वर्ष 2020 से 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत NPA 6 प्रतिशत से अधिक रहे हैं, जबकि सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के औसत NPA 6 प्रतिशत से कम रहे हैं।
- निजी क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त औसत NPA 2.23 प्रतिशत हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त औसत NPA 11.77 प्रतिशत हैं; जिससे यह पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (asset quality) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बेहतर है।
- यह पाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, SBI बैंक के औसत NPA सबसे कम हैं—प्राथमिकता क्षेत्र में 7.85 प्रतिशत और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 4.85 प्रतिशत। BOI बैंक के औसत NPA सबसे अधिक हैं—प्राथमिकता क्षेत्र में 12.14 प्रतिशत और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 13.91 प्रतिशत। वहीं, निजी क्षेत्र के बैंकों में, YES बैंक के औसत NPA प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे कम (1.13 प्रतिशत) हैं और HDFC बैंक के औसत NPA गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे कम (1.02 प्रतिशत) हैं। AXIS बैंक के औसत NPA प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में क्रमशः 2.35 प्रतिशत और 3.33 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में, निजी क्षेत्र के बैंकों ने कम NPA दर्ज किए हैं।
- औसतन, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों में प्राथमिकता क्षेत्र में औसत NPA, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की तुलना में कम होते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र में, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों में कुल औसत NPA 7 प्रतिशत से अधिक हैं; वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों में गैर-प्राथमिकता और प्राथमिकता क्षेत्रों के कुल औसत NPA 4 प्रतिशत से कम हैं।
- निजी क्षेत्र के बैंकों में, प्राथमिकता क्षेत्रों की 'कृषि और संबद्ध गतिविधियां' श्रेणी में NPA अधिक हैं, जबकि गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की 'उद्योग' श्रेणी में NPA अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक हैं।
- अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 'उद्योग' श्रेणी के

अंतर्गत, गैर-प्राथमिकता और प्राथमिकता—दोनों ही क्षेत्रों में NPA का स्तर उच्च पाया गया है।

- समग्र रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, BOI बैंक में औसत NPA सर्वाधिक हैं, जबकि YES बैंक में औसत NPA सबसे कम हैं।

निष्कर्ष और सुझाव

NPA का खतरनाक दर से बढ़ना एक गंभीर मुद्दा बन गया है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में। उच्च NPA के कारण, आम जनता और ग्राहकों का बैंकों पर से विश्वास उठने लगता है। निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPA का स्तर काफी ऊँचा है; इसका मुख्य कारण ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में मौजूद कमियाँ, तथा उदार ऋण नीतियाँ आदि हैं। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कमजोर है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता—दोनों ही क्षेत्रों के NPA का कुल NPA के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, निजी और सार्वजनिक—दोनों ही प्रकार के बैंकों में, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के NPA का स्तर प्राथमिकता क्षेत्र के NPA की तुलना में अधिक पाया गया है। इन निष्कर्षों के आधार पर, यह अध्ययन सुझाव देता है कि बैंकों को उन ग्राहकों की मंशा की निरंतर जाँच करते रहना चाहिए जिन्हें वे ऋण दे रहे हैं, और साथ ही उचित 'ऋण मूल्यांकन तकनीकों' (Credit Appraisal Techniques) का उपयोग करते हुए बैंक द्वारा दिए गए ऋण के अंतिम उपयोग (End Use) पर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। समस्या को प्रारंभिक चरण में ही पहचानकर और ऋण वसूली के उचित तरीकों का पालन करके, NPA के स्तर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

References

- द्विवेदी आर.एन. एवं शुक्ला डी.पी. रिसर्च मैथ्डोलांजी कॉलेज बुक डिपो जयपुर 2009
- दुबे सुशील कुमार विन्ध्यांचल के बघेल राज्य पब्लिकेशन्स स्कीम जयपुर 2001 प्रथम संस्करण
- मामोरिया चर्तुभुज, सेविवर्गीय प्रबंध एवं औद्योगिक सम्बन्ध एस.वी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस आगरा नवीन संस्करण 2010
- पाण्डेय आशुतोष कार्मिक प्रशासन विश्व भारती पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2009 प्रथम संस्करण

- राधेशरण के. विन्ध्य क्षेत्र का इतिहास म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग बानगंगा, भोपाल 2001 प्रथम संस्करण
- आर्य एस.पी. (1987) ''सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धतियॉ साहित्य भवन आगरा,'' संस्करण आठवां, पृ.क्र. 118
- सिंह एस.पी. सांख्यिकी सिद्धांत एवं व्यवहार एस.चांद एण्ड कम्पनी लिमिटेड रामनगर नई दिल्ली 2009
- कौर, हरप्रीत एण्ड प्रसारीय, जे.एस (2000) "मेनेजमेन्ट आफ एनपीए इन पब्लिक सेक्टर बैंकर्स द इन्डियन'' जनरल आफ कामर्स, वोल्यूम 57, पृ.क्र. 14.
- समीर और कामरा, दीपक (2013) ''ए कम्प्रेटिव एनालिसिस ऑफ नॉन परफोर्मिंग ऐसेट्स ऑफ सिलेक्टेड कॉमर्शियल बैंक्स इन इण्डिया वोल्यूम 3 न.1, पृ.क्र.68-80.
- शालिनी, एच.एस. (2013) ''स्टडी आन कॉजेज एण्ड रिमेडीस फॉर नान परफॉर्मिंग ऐसेट एग्रीकल्चर डेवेलपमेनट ब्रान्च, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आफ मैसूर'' इन्टरनेशनल जनरल आफ जिनेस एण्ड मेनेजमेंट वोल्यूम 1, पृ.क्र. 26-38.
- संदीप अग्रवाल, पारुल मित्तल (2012) ''नॉन परफोर्मिंग ऐसेट्स कम्प्रेटिव पोजीशन ऑफ पब्लिक एण्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इण्डिया'' इन्टरनेशनल जनरल ऑफ बिजनेस एण्ड मैंनेजमेंट वॉल्यूम 2 न.1, पृ.क्र.1-7.
- करुणाकर.एम.,वासुकी के.आर. (2008) नॉन परफोमिंग एसेट्स ग्लोमी एण्ड गिरिडी फोर्म इण्डियन प्रोस्पेक्टिव रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइन्स वॉल्यूम 3, पृ.क्र. 4-12.
- Chari A, Jain L, Kulkarni N. The origins of India's NPA crisis, 2021, 201.
- Das I. The need for implementing a cross-border insolvency regime within the insolvency and bankruptcy Code, 2016. Vikalpa,2022:45(2):104-114.
- Kaur, H., Pasricha, J.S. (2004), "Management of NPAs in public sector banks", Indian Journal of commerce, Vol. 57, issue no. 2 PP. 14.
- Kaur. H., Saddy. N. (2011), "A comparative study of NPAs of private and public sector banks", International journal of research in commerce and management (ijrcm), Vol. 2, issue no. 9, ISSN 0976-2183, Pp. 82-89.
- Khasnobi, S. (2006), "Non-performing assets emerging challengers", Indian bankers, Vol. 1, issue no. 11, Nov, PP. 17-20.
- Mishra SK, Rana R. A comparative study of Non-Performing Asset of top private sector bank in India.Journalstd.Com.,2021:8(9):42-48.
- Mohnani P, Deshmukh M. A Study of Non-Performing Assets on selected public and private sector banks. International Journal of Science and Research,2013:2(4):278-281.

- Narayanasamy K. Banking Sector Reforms and the Goals of Nationalised Commercial Banks in India. Theoretical and Applied Economics,2022:27(2):241- 262.
- Rajeev. M., Mahesh. H.P. (2010), "Banking sector reforms and NPAs: A study of Indian commercial banks", working paper, ISBN No. 978-81-7791-108-4, The Institute for social and economic change, Bangalore.
- Reddy, P.K. (2002), " A comparative study of NPAs in the global context- similarities and dissimilarities, remedial measures", oct, IIM Ahmadabad, India.
- Shajahan KM. Priority sector bank lending: Some important issues. Economic And Political Weekly,1998:33(42–43):2749-2756.
- Sharifi O, Akhter J. Effect of Non-Performing Assets on the profitability of public sector banks of India. International Journal of Engineering and Management Research Page Number,2016:5(5):383-388.
- Syed Ibrahim M, Thangavelu R. A Study on the composition of Non-Performing Assets (NPAs) of scheduled commercial banks in India. Journal ofFinance and Bank Management,2014:2(1):31-48.
- Tale Sudhir Mahendra. Role of Reserve Bank of India. Review of Research,2015:5(2):1-4.
- Vallabh. G., Bhatia. A., Mishra. S. (2007), "NPAs of India public, Private and foreign sector banks: An empirical assessment", Icfai, Journal of bank management, Vol. 6, issue no. 3, PP. 7-28.